न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—01/21 (2021/12) वाद पत्र

अनवान

1—लक्ष्मण पिता नानुराम गुर्जर निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—पारस पिता नानुराम गुर्जर निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—घीसी पत्नि नानुराम गुर्जर निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1—भुरा पिता देवा माली निवासी गोविन्दपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—लेहरूलाल पिता भुरा माली निवासी गोविन्दपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—मीठुलाल पिता भुरा माली निवासी गोविन्दपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—घीसु पिता भुरा माली निवासी गोविन्दपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5—नारायण पिता नानुराम गुर्जर निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. हरिश टेलर — अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. जाकिर हुसैन — अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांकः—03.08.2021

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम गोविन्दपुरा पटवार मण्डल गलवा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 5 के संयुक्त खातेदार अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 251/169 रकबा 0.84 है0, आराजी संख्या 249/161 रकबा 0.37 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 1.21 है0 भूमि स्थित है। प्रमाण में जमाबन्दी मय नक्शा ट्रेस प्रस्तुत की है। उक्त वर्णित भूमियों के चारो तरफ थोहरो की बाड़ कर रखी है प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 का वादीगण की उक्त वर्णित भूमियो से कोई लेना देना नही है तथा जबरन ताकत के बल पर भूमियो को हड़पने का प्रयास करते है एवं वादीगण को भूमियो से बेदखल करने पर आमादा है। वादीगण की उक्त भूमियो पर मवेशी घुसा देते है एवं वादीगण की मवेशियो को बाहर निकाल देते है। दिनांक 18.12.2020 को रात्री को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 हम सलाह होकर 5 ट्रीप पत्थरो के डाल दिये तथा मना किया तो गाली गलोच की और हमारे साथ मारपीट कर डाली और धमकी दी की तुम हमारा कुछ नही बिगाड़ सकते हो। जिसे अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना अतिआवश्यक हो गया है। भूमि वादीगण के खातेदारी अधिकार की है और प्रतिवादीगण का उक्त भूमि से कोई वास्ता नही है तथा वादीगण की खातेदारी भूमि से जबरन बेदखल करने और उस पर पत्थर डालने व किसी प्रकार का निर्माण कर बलात आधिपत्य जमाने व वादीगण के उपयोग उपभोग में, आवागमन करने में बाधा उत्पन्न करने व वादीगण को [illegible] का नुकसान पहुचाने व कब्जे काश्त करने में नाजायज दखलदांजी करने का कोई कानूनी [illegible] नही है। वादीगण का प्रथम दृष्टया मामला प्रमाणित है तथा सुविधा सन्तुलन [illegible] के पक्ष में है। अतः वादीगण की सादर प्रार्थना है कि सथाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण के इस आशय की [illegible] जावे कि ग्राम गोविन्दपुरा पटवार हल्का खेमाणा में वादीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे [illegible] की आराजी संख्या 251/169 रकबा 0.84 है0, आराजी संख्या 249/161 रकबा 0.37 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 1.21 है0 भूमि में प्रतिवादीगण वादीगण के उपयोग उपभोग व कब्जे काश्त व आवागमन करने में किसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.08.14 18:18:26 IST
Reason: SelfAttested

प्रकार की नाजायज दखलदांजी न तो स्वयं करे न अन्य से करावे। वादीगण की उक्त वादग्रस्त भूमि में किसी प्रकार का कोई स्थाई व अस्थाई निमार्ण न तो स्वयं करे व न अन्य करावे। तथा वादीगण को प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि के किसी भू—भाग से थोहरों की बाड़ को काटकर या अन्य किसी रूप से नुकसान नहीं पहुंचावें एवं शान्ति पूर्वक भूमियों का उपयोग उपभोग करने देवे व अनावश्यक हस्तक्षेप नही करें व न किसी अन्य से करावे। साथ ही दौराने सुनवाई वाद पत्र प्रतिवादीगण वादीगण की उक्त वादग्रस्त भूमि में जबरन किसी प्रकार का कोई निमार्ण करवा देंवे या वादीगण को जबरन बेदखल कर देवें तो जरिये आदेशात्मक आज्ञा के पुनः हटवाया जावें व वादीगण को पुनः काबिज कराया जावे।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर दिनांक 12.01.2021 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया एवं प्रतिवादी संख्या 5 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया एवं प्रतिवादी संख्या 6 फौरमल पक्षकार है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 की ओर से जवाब में अकंन किया कि वादीगण की आराजियात के चारो ओर थोहर की बाड़ लगी हुई है बाकी तथ्य गलत होकर अस्वीकार है। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का वादीगण की भूमि से कोई लेना देना नही है तथा प्रतिवादी 1 से 4 वादीगण की भूमि पर न तो कब्जा करना चाहते है और न बेदखल करना चाहते है। प्रतिवादीगण वादीगण की आराजी में न तो मवेशी प्रवेश कराते है तथा न ही गाली गलौच करते की है। वादीगण द्वारा तमाम तथ्य बनावटी व झुठे अकिंत किये है। प्रतिवादीगण के बाड़े का ग्राम पंचायत खेमाणा ने सन् 1961 में पट्टा दिया गया है जिस पर प्रतिवादीगण 60 वर्षो से काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। प्रतिवादीगण का बाड़ा आबादी भूमि मे है तथा बाड़े के दो तरफ दुसरे बाड़े की दीवार है तथा एकतरफ वादीगण की कृषि भूमि की थोहर की बाड़ बनी हुई है। वादीगण की भूमि अपने बाड़े पर दीवार कराने के लिये पत्थर डाले है जो ग्राम खेमाणा की आबादी भूमि होकर प्रतिवादीगण का पट्टे शुदा है। ग्राम पंचायत से विपक्षी संख्या 1 के नाम पट्टा जारी है। वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्व किसी प्रकार की निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही है। वादीगण जबरन प्रतिवादीगण का बाड़ा हड़पना चाहते है जिससे प्रतिवादीगण के विरूद्व नाजायज प्रार्थना पत्र पेश कर एक पक्षीय अन्तरिम स्थगन प्राप्त कर लिया है। वादीगण का प्रथम दृष्ठया मामला नही है यदि प्रतिवादीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका गया तो प्रतिवादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका आंकलन अर्थ में नही किया जा सकेगा तथा प्रतिवादीगण अपने पट्टे शुदा बाड़े का उपयोग उपभोग नही कर पायेंगे जिससे प्रतिवादीगण को भारी असूविधा होगी। अतः वादीगण का वाद पत्र सव्यय खारीज फरमाया जावे। मजीद कथन के रूप मे निवेदन किया कि वादीगण ने प्रतिवादीगण को नाजायज परेशान व जलील करने के आशय से प्रतिवादीगण के विरूद्व वाद पत्र पेश किया है। वादीगण की कृषि भूमि से प्रतिवादीगण का कोई लेना देना नही है और न ही प्रतिवादीगण का द्वारा वादीगण की भूमि में दंखलदाजी की जा रही है। वादीगण ने बिना किसी लोकस स्टेण्डाई के प्रतिवादीगण को अकारण पक्षकार बनाकर वाद पत्र पेश कर दिया जो कानुनन गलत होकर अवैध है। वादीगण द्वारा थाना रायपुर में प्रतिवादीगण के विरूद्व रिपोर्ट देने पर पटवारी से जांच करवाने पर प्रतिवागदीगण का बाड़ा आबादी भूमि में पाया गया इसके पश्चात वादीगण ने प्रतिवादीगण को परेशान करने के लिए ग्राम पंचायत के संरपच से मिलकर प्रतिवादीगण को आबादी भूमि में अवैध कब्जा करने का नोटिस दिलवा दिलवाया गया जिसकी प्रति साथ पेश है। उक्त वादपत्र प्रतिवादीगण के विरूद्व खारीज होने से सव्यय खारीज फरमाया जाए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.08.14 18:18:26 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई —

वादीगण अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए मुख्य कथन किया कि वादीगण व विपक्षी संख्या 5 की संयुक्त खातेदारी भूमि है जिसे प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का कोई लेना देना नही है फिर भी वादीगण को परेशान करते है जमीन आबादी के नजदीक है

जिसे कब्जा करने पर आमाद है, खातेदार वादीगण है, सुविधा का सन्तुलन वादीगण के पक्ष मे है। अगर विपक्षी वादीगण की भूमि पर कब्जा करते है तो वादीगण को अपूर्णीय क्षति होने की संभावना प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान जवाब में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए मुख्य कथन किया कि प्रकरण में न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट मंगवाई गई है जो शामिल पत्रावली है अधिवक्ता का कथन है कि प्रतिवादीगण के पास आबादी भूमि का पट्टा है और प्रतिवादीगण ग्राम पंचायत द्वारा दी गई पट्टे में वर्णित भूमि पर ही कब्जा है वादीगण की आराजियात से प्रतिवादीगण का कोई कोई लेदा देना नही है। प्रतिवादीगण के पास वर्ष 1961 में ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया पट्टा है जिसके आधार पर प्रतिवादीगण आबादी भूमि में काबिज है। वादीगण का प्रथम दृष्टया प्रकरण नही है प्रतिवादीगण द्वारा पत्थर आबादी भूमि में डाले हुए है। वादीगण को कोई नुकसान नही होकर वादीगण द्वारा एकपक्षीय स्थगन लेने से प्रतिवादीगण को नुकसान हो रहा है प्रतिवादीगण के पास आबादी भूमि का पट्टा है इस प्रार्थना पत्र से प्रतिवादीगण को नही रोका जा सकता है वादीगण लॉ का मिसयूज कर रहा है अतः वाद पत्र खारीज फरमावे।

मैने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन कर उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर गंभीरता से विचार करने पर पाया कि वादीगण वाद पत्र वर्णित भूमि का खातेदार है प्रकरण में तहसीलदार रायपुर से मौका रिपोर्ट मंगवाई गई जो शामिल पत्रावली है। वादीगण की खातेदारी आराजी संख्या 251/169 एवं 249/161 पर मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रतिवादीगण का कोई कब्जा नही है। प्रतिवादीगण ग्राम गोविन्दपुरा की आबादी की आराजी संख्या 145/170 पर कब्जा होकर थोहर की बाड़ लगा रखी है। प्रतिवादीगण के द्वारा आबादी के आराजी संख्या 245/170 पर अपने पट्टेशुदा कब्जे की भूमि पर ही पत्थर डाल रखे है। प्रतिवादीगणो का वादीगण की आराजियात में पत्थर नही डाल रखे है इस प्रकार स्पष्ट होता है कि वादीगण अपनी खातेदारी भूमि पर काबिज है और प्रतिवादीगण ग्राम पचायत द्वारा आबादी भूमि से जरिये पट्टा से दी गई भूमि पर काबिज है दोनो पक्ष अपने अपने हक हिस्से की भूमि पर काबिज है। दोनो अधिवक्ताओ द्वारा भी अन्त में बहस में निवेदन किया कि हम एक दुसरे के कब्जे में दखल नही करेंगे मौका रिपोर्ट में जो स्थिति दर्शायी गई है उसी अनुसार काबिज रहेंगे। इस अनुसार दोनो पक्षो को समझाईश करते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जाना ही उचित है।

आदेश

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के सम्बन्ध में दोनो पक्षो को समझाईश की जाती है कि अपने अपने हक हिस्से एवं स्वामित्व की भूमि पर काबिज रहे अनावश्यक कब्जा करने की नियत से विवाद नही करे। इसी स्तर पर प्रकरण का निस्तारण किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 03.08.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

03-08-2021

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.08.14 18:18:26 IST
Reason: SelfAttested

सुन्दरलाल बम्बोडा
सहा. कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे डिक्री
(आदेश 20 रूल्य 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–01 / 21 (2021 / 12) वाद पत्र

अनवान

1–लक्ष्मण पिता नानुराम गुर्जर निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–पारस पिता नानुराम गुर्जर निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3–घीसी पत्नि नानुराम गुर्जर निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1–भुरा पिता देवा माली निवासी गोविन्दपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–लेहरूलाल पिता भुरा माली निवासी गोविन्दपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3–मीठुलाल पिता भुरा माली निवासी गोविन्दपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4–घीसु पिता भुरा माली निवासी गोविन्दपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5–नारायण पिता नानुराम गुर्जर निवासी गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के सम्बन्ध में दोनो पक्षो को समझाईश की जाती है कि अपने अपने हक हिस्से एवं स्वामित्व की भूमि पर काबिज रहे अनावश्यक कब्जा करने की नियत से विवाद नही करे। इसी स्तर पर प्रकरण का निस्तारण किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 03.08.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

03.08.2021

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.08.14 18:18:26 IST
Reason: SelfAttested